झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

सं0–10बी0 / भू0अ0नि0 नीति–64/15...179/नि0रा0.(10बी.) / रा., राँची, दिनांक–11.3.2016

:: संकल्प ::

विषयः– **मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–5542, दिनांक–21.11.1979 के अनुसार मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी के प्रत्येक पंचाटी की पंचाटित राशि–5000 / – रू0 (पाँच हजार रू0) से अधिक हो तो ऐसे मामलों में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद समाहर्त्ता ही भुगतान करने का आदेश देते है। जिला में यह मामला प्रकाश में आया है कि अधिकांश पंचाटी की पंचाटित राशि 5000 / – रू0 से अधिक है और प्रायः किसी भी मृतक पंचाटी के दावेदार का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अर्जन निदेशालय) के पत्रांक–15 / डी0एल0ए0 नीति–04 / 04–1456 / रा0, दिनांक–21.06.2007 के द्वारा निदेशित है कि अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध रैयत होने के प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये मात्र तक के मुआवजा की राशि सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भुगतान किया जा सकता है, वशर्त्ते मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों द्वारा वैध रैयती प्रमाण पत्र एवं अंचल कार्यालय से दाखिल–खारिज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। परन्तु जहाँ प्रत्येक मृतक पंचाटी को देय राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये से अधिक हो, ऐसे मामले में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही समाहर्त्ता अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश दे सकेंगे। अतएव विचारोपरांत विषय की महत्ता को देखते हुए जनहित में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

(i) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों में भूमि से संबंधित मुआवजा राशि में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर मृतक पंचाटी के दावेदार को देय राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये मात्र तक के लिए सक्षम न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना उत्तराधिकारी (वास्तविक उत्तराधिकारी) का अंचलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध एवं मान्य रैयत प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा का भुगतान किया जाए। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी इस स्थिति में सर्वप्रथम मृतक पंचाटी के वास्तविक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों के विषय में पूरी जाँच करेंगे तथा इस आधार पर यदि उपायुक्त संतुष्ट हो तो मुआवजा की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) ऐसे उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को मुआवजा भुगतान के समय सरकार के पक्ष में एक इनडेमनिटी बौंड (क्षतिपूर्ति बंध–पत्र) प्रस्तुत करना होगा कि कानून की दृष्टि में अगर कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह हकदार साबित होगा तो वह मुआवजा की सम्पूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि, जो भी हो सरकार को, वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

(iii) मृतक पंचाटियों के उत्तराधिकारियों के नाम से दाखिल–खारिज करने में विलम्ब न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उपायुक्त अपने स्तर से अंचलाधिकारियों को निदेश देंगे कि मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों से आवेदन–पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अंचलाधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुपालन में उचित कार्रवाई कर दाखिल–खारिज शीघ्रता से करेंगे ताकि क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं हो। साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में दाखिल–खारिज के पहले इस आशय की सामान्य नोटिस जारी कर सामान्य आपत्ति/प्रतिक्रिया अवश्य मांग ली जायेगी कि आवेदक को अमुक मृतक पंचाटी का उत्तराधिकारी मानने में किसी का कोई आपत्ति तो नहीं है।

(iv) जहाँ प्रत्येक मृतक पंचाटी को देय राशि 10,00,000.00 (दस लाख) रूपये से अधिक हो, ऐसे मामले में मृतक पंचाटी के दावेदार को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उपायुक्त, अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भुगतान करने का आदेश दे सकेंगे।

(v) मुआवजा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से सीधे पंचाटी के उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–09.03.2016 के मद संख्या–16 के रूप में विषयगत मामले से संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।**

11.3.16

(राम कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–10बी0/भू0अ0नि0 नीति–64/15 179/नि0रा0 (10बी.)/राँची, दिनांक–11.3.16

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.3.16

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–10बी0/भू0अ0नि0 नीति–64/15 179/नि0रा0 (10बी.)/राँची, दिनांक– 11.3.2016

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सदस्य, राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त के सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.16

सरकार के संयुक्त सचिव